HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endorsement No. B/656 III-6-4/72 Jabalpur, dated 21/03/2024

Copy of the notification No. 622-1917730-24-50-2 dated 07-03-2024 of the Government of M.P., Department of Women & Child Development issued as per the provisions of Section 4 (1) and (2) of the Juvenile Justice Act, 2015 (excerpted from Gazette of M.P. dated 15.03.2024), is forwarded to;

1. The Registrar cum PPS of Honourable Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judge, Dhar for information and necessary action with request that the order may kindly brought to the knowledge of the concerned Judge also;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information.

21.3.24

(SANTOSH PRASAD SHUKLA)
REGISTRAR District Establishment

2. श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे (1988), मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

3. उपरोक्तानुसार श्री संजय बंदोपाध्याय द्वारा अध्यक्ष, कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे (1990), अध्यक्ष, कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा विकास आयुक्त तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग केवल अध्यक्ष, कर्मचारी चयन मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. व्ही. रश्मि, सचिव "कार्मिक".

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2024

क्र. 4286-650-इक्कीस-अ(स्था.) 2024.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 31 मार्च, 2018 शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश, 2018 के अंतर्गत विधि विभाग, भोपाल एवं महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर / अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर / इन्दौर में पदस्थ निम्नलिखित शासकीय सेवकों की अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष पूर्ण होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए तालिका के कॉलम (5) में अंकित दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया जाता है :—

तालिका

क्र.	नाम एवं पदनाम	यूनिक कोड	स्थान एवं डी.डी. ओ. कोड नं.	सेवानिवृत्ति दिनांक	सा.भ.नि./डी. पी.एफ. क्रं.	शासकीय आवास
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री यशवंत सिंह, प्रशासकीय अधिकारी, विधि विभाग, भोपाल.	051010885	भोपाल 0512101001	28-02-2025	एस.जी.एस. 2639	आवंटित नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश पाण्डव, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2024

क्र. 622-1917730-24-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम, के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	धार	धार	श्रीमती उषा कांता बैरागी, JMFC

No. 622-1917730-24-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015, the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dhar	Dhar	Smt. Usha Kanta Bairagi, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसारिया, उपसचिव.

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2024

क्र.-1610882-2023-1-59.—राज्य शासन एतद्द्वारा, ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 33-जी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ. अंतिम नलवाया, जिला आयुष अधिकारी, भोपाल (वर्तमान में आयुष संचालनालय में पदस्थ) को ड्रक्स एण्ड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के खण्ड XVIII के नियम 162 के प्रयोजनार्थ मध्यप्रदेश राज्य के लिये औषधि निरीक्षक (आयुर्वेद) नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2024

क्र. एफ-1-4-20-रा.स.-यू.ए. 1-337.—प्रो. सुनील कुमार, कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा दिनांक 6 मार्च 2024 को प्रस्तुत त्याग-पत्र तत्काल प्रभार से स्वीकृत किया जाता है.

2. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 की धारा 13 की उपधारा (6) के प्रावधानांतर्गत मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल एतद्द्वारा, डॉ. रूपम गुप्ता, संकायाध्यक्ष, कम्प्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी संकाय, यू. टी. डी., राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल को नये कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिये नाम-निर्देशित करता हूँ.

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.